



संवाद

शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने बच्चों की शिक्षा को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। हमारे संविधान में भी ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो समानता का समर्थन करते हैं और इस संबंध में अधिकार भी देते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि बच्चों के विकास की गति तीव्र होती है। कोविड-19 के हालातों की वजह से बच्चे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

कोविड-19 के दौरान डिजिटल डिवाइस के माध्यम से बच्चे शिक्षा से जुड़े रहे। इनका प्रयोग कर बच्चों में विभिन्न कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया गया। भाषायी अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने हेतु भी इनका प्रयोग किया गया। शोध परिणाम बताते हैं कि भाषा अर्जन में भी परंपरागत विधि की अपेक्षा डिजिटल डिवाइस आधारित अनुदेशन अधिक सफल रहा है। जब बच्चों को शैक्षिक खेलों एवं वीडियो अनुकरणों के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो बच्चों की भाषा अर्जन में वृद्धि होती है। कोविड-19 के दौरान पुस्तकालय भी डिजिटल मोड में चल रहे थे, जिससे बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया गया। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए भी काफी प्रयास किए गए। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने पुस्तकालयों के समुचित उपयोग की बात कही है और विद्यालयों में स्थित पुस्तकालयों को अभिभावकों एवं समुदाय के लोगों के लिए प्रयोग में लाने की बात सुझाई है।

समुदाय का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों का अच्छा बचपन प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। घर से ही बच्चे की शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। घर बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करते हैं, अतः उनकी नींव सुदृढ़ हो इसका ध्यान रखना भी परिवार की जिम्मेदारी है। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, साथ ही कुछ गत्यात्मक और भाषायी-कौशल स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। कोविड-19 के हालातों में इस बात का ध्यान दिया गया कि सभी बच्चे घर पर रह कर भी शिक्षा से दूर न रहें।

अक्सर देखा गया है कि बच्चों को गणित से डर लगता है। बच्चों को गणित से डर न लगे इसके लिए गणितीय विश्वास विकसित करना ज़रूरी है। इसके लिए कोविड-19 के दौरान अध्यापकों ने कार्य पत्रिकाएँ डिजिटल माध्यम से भेजीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों के विषय में भी सभी

जागरूक थे। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में *आरटीई अधिनियम 2009* कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फ़ेल करने अथवा स्कूल से निकाले जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। विद्यार्थियों में स्वायत्तता, संवेदनशीलता और आलोचनात्मक सोच विकसित हो इसका प्रयास करना ज़रूरी है। बच्चों की शिक्षा को सार्थक और बेहतर रूप देने के लिए ज़रूरी है कि परिवार और विद्यालय में तालमेल हो और यह तालमेल कोविड-19 के हालातों में बना रहा। अब हमें यह प्रयास करना है कि यह तालमेल बना रहे।

प्रस्तुत अंक में 'विशेष' के अंतर्गत निष्ठा कार्यक्रम के प्रशिक्षण मॉड्यूल में से 'गणित शिक्षणशास्त्र' विषय को शामिल किया गया है। इस अध्याय का अध्ययन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

पत्रिका के संबंध में आपके विचार व सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

आशा है कि आपको यह अंक पसंद आएगा।

अकादमिक संपादक